श्री अनिल माधव दवे: सभापति महोदय, सागरमाला अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और उसके ऊपर विचार चल रहा है कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज़ उससे रेलेटेड हैं। मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को और पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सागरमाला को लेकर Environment clearance के संबंध में हमारे सामने कोई proposal नहीं आया है, लेकिन विकास के लिए - कोई पोर्ट डेवलप करना है या विकास के लिए inland development करना है, तो उसके संबंध में कोई बाधा नहीं आएगी। हम पर्यावरण को सुनिश्चित करते हुए, Marine life को सुनिश्चित करते हुए, उसका विकास करेंगे और विशेषकर जो बड़े-बड़े बंदरगाह बनाए गए हैं और बन रहे हैं, उसे ही हम उसके संरक्षण में लगाएंगे। क्या यह संभव नहीं है कि वह व्यक्ति जो करोड़ों-अरबों रुपयों का investment कर रहा है, अपने दोनों तरफ 50-50 किलोमीटर तक की कोस्टल लाइन को सुरक्षित रखे और preserve करने की कोशिश करे? तो जो समस्या है, उसी को निदान में बदलकर हम आगे विकास को लेकर इस दिशा में काम करेंगे क्योंकि विकास और पर्यावरण - ये एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ये लाइन तो पिछले कुछ वर्षों में विकसित की गई है और जानबूझकर विकसित की गयी है। वस्तुतः सुविकास और पर्यावरण, bad विकास या कुविकास की बात नहीं है, सुविकास और पर्यावरण ये hand to hand चलते हैं, समानांतर चलते हैं, एक-दूसरे के साथ चलते हैं और हजारों सालों से चलते आए हैं।

Providing safe drinking water to tribal households

*153.SHRI NARENDRA BUDANIA: Will the Minister of DRINKING WATER AND SANITATION be pleased to state:

(a) whether the main source of drinking water in 2011 was away from their houses for 33.6 per cent household of tribal population at the country level and this was 33.2 per cent in Chhattisgarh, 24.8 per cent in Gujarat, 42.3 per cent in Jharkhand, 41.5 per cent in Madhya Pradesh and 45.5 per cent in Jammu and Kashmir;

(b) what is being done in these and other States to provide safe drinking water to tribal people near their premises; and

(c) the plan and the provision of funds made by the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) As per Census 2011, the main source of drinking water from their houses for tribal population in the county as a whole and the States of Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir is as below:

Sl. No.	States	Total rural household of ST Population	No. of rural household ST population having of main drinking water source away from their house	%
1.	All India	2,01,87,856	73,44,686	36.38
2.	Chhattisgarh	16,12,124	5,54,085	34.37
3.	Gujarat	15,25,331	4,23,837	27.79
4.	Jharkhand	15,42,273	6,82,296	44.24
5.	Madhya Pradesh	29,69,095	12,66,210	42.65
6.	Jammu and Kashmir	2,43,707	1,14,765	47.09

(b) and (c) Under NRDWP, 10% of the total allocation of funds is earmarked to be used for the supply of drinking water to Scheduled Tribe (ST) dominated habitations. States have been directed to take special care for the implementation of its schemes / programmes in tribal areas and report its progress separately on the online Integrated Management Information System (IMIS) of this Ministry.

In the year 2012-13 and 2013-14, with-the assistance of National Clean Energy Fund (NCEF) from the Ministry of Finance and National Rural Drinking Water Programme (NRDWP), 9623 Nos. of Solar Power Based Dual Pump Schemes have been installed in Left Wing Extremist/ Naxal affected States so that safe drinking water is made available to small rural tribal habitations in these areas through taps. In the year 2015-16,another 5004 Nos. of Solar Power Based Dual Pump Schemes have been installed across the country with funding from NRDWP and assistance from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE).

This Ministry has prepared a Strategic Plan for the rural drinking water sector for the period 2011-2022 which stresses on extending the piped water supply to more households in the rural areas including tribal areas. The interim goal till 2017 is to cover 50% of all rural households with piped water supply and 35% of rural households with household connections. By 2022, the goal is to cover 90% of rural households with piped water supply and 80% of rural households with household connections. The funds made available to States for coverage of ST concentrated habitations in the country during the last four years and the current year is given in Statement-I.

Statement-I

Status of funds released to States for coverage of tribal dominated habitations under NRDWP (₹ in crores)

Sl. No.	State	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (as on 27.7.2016)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Andaman and Nicobar Islands	0	0	0.09	0	0
2.	Andhra Pradesh	38.71	50.07	21.05	12.76	4.35
3.	Arunachal Pradesh	65.64	0	0	0.3	0
4.	Assam	79.7	64.41	64.3	26.66	13.35
5.	Bihar	2.05	3.29	4.5	8.58	1.18
6.	Chandigarh	0	0	0	0	0
7.	Chhattisgarh	53.28	50.96	52.87	19.41	10.63
8.	Dadra and Nagar Haveli	0	0	0	0	0
9.	Daman and Diu	0	0	0	0	0
10.	Goa	0	0	0	0.22	0.17
11.	Gujarat	142.04	106.53	84.81	40.79	25.16
12.	Haryana	0	0	0	0	0
13.	Himachal Pradesh	5.28	4.85	6.82	2.93	1.76
14.	Jammu and Kashmir	62.98	57.83	67.33	24.81	15.62
15.	Jharkhand	73.17	70.64	47.27	22.16	12.08
16.	Karnataka	66.86	73.53	46.79	19.55	11.52
17.	Kerala	3.56	3.02	2.76	1.05	0.62
18.	Lakshadweep	0	0	0	0	0
19.	Madhya Pradesh	129.58	117.2	103.97	45.68	23.38
20.	Maharashtra	74.8	84.73	99.64	40.66	21.47
21.	Manipur	26.94	20.75	0	0	0
22.	Meghalaya	0	0	0	1.32	0
23.	Mizoram	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
24.	Nagaland	0	0	0	0	0
25.	Odisha	50.36	73.55	50.55	22.81	11.71
26.	Puducherry	0.04	0	0	0	0
27.	Punjab	0	0	0	0	0
28.	Rajasthan	201.51	202.59	211	73.65	45.53
29.	Sikkim	6.76	5.33	10.63	2.98	1.27
30.	Tamil Nadu	11.03	5.17	6.07	6.4	0.99
31.	Telangana	24.51	12.77	5.36		
32.	Tripura	32.73	31.6	0	0.18	0
33.	Uttar Pradesh	0.69	0.53	6.15	14.85	1.08
34.	Uttarakhand	2.62	2.8	4.04	1.99	1.18
35.	West Bengal	33.35	32.33	31.13	18.67	5.16
	TOTAL	1163.68	1061.71	946.28	421.18	213.57

श्री नरेन्द्र बुढानियाः माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की, चाहे वे हैंडपंप लगाने की हों, चाहे पाइप लाइन बिछाने की हों, इनमें सबसे मुख्य योजना एनआरडीडब्ल्यूपी की है। ये सारी-की-सारी योजनाएं यूपीए के शासन की हैं।

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री नरेन्द्र बुढानियाः सभापति जी, वर्तमान सरकार को ढाई वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो क्या इन पुरानी योजनाओं में तेजी लाने के लिए कोई strategy या कार्यक्रम सरकार बनाने जा रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जन-जातियों के कल्याण व उनके लिए पेयजल की उपलब्धता से संबंधित प्रश्न पूछा है। इस संबंध में उनकी चिंता निश्चित रूप से वाजिब है और भारत सरकार लगातार आम व्यक्ति को स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए प्रयासरत है। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र में हमारे एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के अंतर्गत 10 प्रतिशत राशि की सुरक्षा और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त जनजातीय मंत्रालय भी उपयोजना के अंतर्गत इन के लिए राशियां सुरक्षित करता है और मैं समझता हूं कि उसका परिणाम जन-जातीय क्षेत्र में काफी अच्छा है। केन्द्र सरकार के पेयजल मंत्रालय, जन-जातीय मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों की भी अपनी बहुत सी योजनाएं हैं, जिन के माध्यम से राज्य काम करते हैं क्योंकि पेयजल की उपलब्धता राज्य का ही विषय है और केन्द्र सरकार उसमें उनकी मदद करती है। उस कारण इस क्षेत्र में उपलब्धता और उपलब्धि भी अच्छी है।

श्री नरेन्द्र बुढानियाः सभापति महोदय, मैंने जानना चाहा था कि केन्द्र द्वारा अनुसूचित जन-जाति के परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि किस-किस प्रदेश में दी गयी है? महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में दिया है कि उससे पता चलता है कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जिस में राशि कम नहीं की गई हो। सभी प्रदेशों में इस राशि में कटौती की गयी है। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को जहां 2013-2014 में 53 करोड़ रुपए दिए गए वहां वर्ष 2015-2016 में सिर्फ साढ़े 19 करोड़ रुपए दिए गए हैं, गुजरात को वर्ष 2012-2013 में 142 करोड़ दिए गए थे, लेकिन अब 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश को पहले 129 करोड़ दिए गये थे, लेकिन अब 45.68 करोड़ दिए गए हैं। महोदय, राजस्थान के अंदर 2012-13 में 2,001 करोड़ रुपये था, लेकिन अबकी बार सिर्फ 73.65 करोड़ रुपया दिया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः सवाल क्या है?

श्री नरेन्द्र बुढानियाः सभापति महोदय, मैं इसी से संबंधित सवाल पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जो वाटर दूषित बीमारियाँ हैं, वे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और बच्चों में होती हैं। कई बार यह भी सर्वे में आया है कि एक से पाँच वर्ष के बच्चों की हर महीने, हर गाँव में दो, तीन मृत्यु होती हैं। जिस प्रकार से इन बच्चों की मृत्यु होती है, उस प्रकार से पैसा मुहैया नहीं कराया जाता है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए अतिरिक्त राशि आबंटित करने का कोई विचार रखती है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस राशि की बात कही है, उसके लिए मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों, जब चौदहवें फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई, और उसको सरकार ने स्वीकार किया, तो राज्यों को, जो 32 प्रतिशत राशि मिलती थी, वह राशि अब 42 प्रतिशत उपलब्ध होती है। केंद्र के पास जो राशि थी, वह निश्चित रूप से कम थी। उसके बाद नीति आयोग ने मुख्य मंत्रियों की एक समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे थे। उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया था कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करके, इस कार्य को देखें कि केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार से राशि की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिससे योजनाओं में भी उपलब्धि आए और केंद्र तथा राज्य को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए। इसके कारण पेयजल और अन्य क्षेत्रों में भी कहीं पचास-पचास परसेंट का रेश्यो तय हुआ, कहीं साठ-चालीस परसेंट का रेश्यो तय हुआ, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में नब्बे-दस का रेश्यो तय हुआ। इसके कारण यह राशि, जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, वह है, और इसी की वजह से जो बजट पहले था, वह बजट भी इस बार 5,000 करोड़ का है, लेकिन जो वर्तमान आबंटन है, उसके हिसाब से जो आबंटन जारी किया है, वह उचित है और इसमें हम सभी लोग उपलब्धि हासिल करेंगे।

श्री अमर सिंहः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा - वैसे तो यह प्रश्न ट्रायबल्स के संबंध में पेयजल का पूछा गया है, लेकिन भारत की पहचान आगरा से है, उसके ताजमहल से है। इन्होंने कहा है कि पेयजल राज्य का विषय है। मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता हूं कि यह Concurrent List है, State List है या Central list है, लेकिन कम से कम आगरा का

प्रश्न, जहाँ पेयजल की इतनी बड़ी समस्या है, जहाँ इतने पर्यटक आते हैं, उस आगरा के पानी को पीकर लोगों की मौतें तक हुई हैं। वहाँ पर कई दशकों से खारे पानी की समस्या है। सिर्फ राज्य सरकार के संसाधन से इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ, और मैं इस पर सदन के अन्य साथियों का भी सहयोग चाहूंगा कि आगरा सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, बल्कि यह देश की पहचान है और वहाँ सबसे अधिक पयटक जाते हैं। वहाँ पर पेयजल की बहुत गंभीर समस्या है, खारे पानी की समस्या है, इसके कारण मौतें तक होती हैं और पर्यटक बीमार पड़ते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः अमर सिंह जी, यह सवाल ट्रायबल हाउस होल्ड्स पर है।

श्री अमर सिंहः सभापति जी, वह बात ठीक है, लेकिन यहाँ पेयजल की बात है। यहाँ पेयजल की बात है और मौका भी है, तो मैं यह कह रहा हूं कि ट्रायबल हाउसहोल्ड्स को भी पैसा मिलना चाहिए, लेकिन पेयजल की, ट्रायबल हाउसहोल्ड्स से भी ज्यादा खराब अवस्थ आगरा की है। क्योंकि इसका संदर्भ पीने के पानी से है, तो मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप आगरा के पेयजल के लिए अलग से कुछ प्रावधान करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः सभापति महोदय, जब पेयजल की बात आती है तो निश्चित रूप से गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है। मैं समझता हूं कि माननीय अमर सिंह जी, जो कि बहुत ही सीनियर मेम्बर हैं, वे उत्तर प्रदेश से आते हैं और आगरा के मामले में उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, उसके लिए वे अपनी जगह पर ठीक हैं। मैं इस मामले में आपसे एक-दो अनुरोध करना चाहता हूँ। एक तो आपने आगरा के मामले में चिन्ता की है, तो आगरा शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक शहरी क्षेत्र है। दूसरा, पानी की जो गुणवत्ता है, उसमें दो-तीन चीजें हैं, जिनको लेकर निश्चित रूप से सरकार चिन्तित है। कहीं लोग आर्सेनिक से परेशान हैं, कहीं लोग फ्लोराइड से परेशान हैं और खारे पानी की समस्या से भी अनेक क्षेत्र परेशान हैं। पिछले दिनों नीति आयोग ने खारे पानी की समस्या का निदान हो सके और उसकी गुणवत्ता सुधर सके, इस दृष्टि से 800 करोड़ रुपए की राशि सुनिश्चित की है। वह राशि राज्यों को गई है। मैं माननीय अमर सिंह जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे उत्तर प्रदेश से बात करके उस राशि का सदुपयोग आगरा के पानी को ठीक कराने के लिए करेंगे, तो उचित होगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंहः सर, ...

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, आपका सवाल हो गया। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंहः सर, बस एक सवाल पूछने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, प्लीज़। No supplementaries, Amar Singhji, *...(Interruptions)...*

श्री अमर सिंहः आप इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश को कितना दिया गया है? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You are a very senior Member, please do not do that. *...(Interruptions)...*

श्री अमर सिंहः सर, वे इतना ही बता दें कि 800 करोड़ रुपए में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्या है?

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Tapan Kumar Sen. ...*(Interruptions)*... Mr. Tapan Sen, does your question relate to tribal households? Does it or no?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: It does, Sir.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I can assure you that I will not go here and there.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I think, ensuring availability of water, particularly the drinking water, is a basic requirement of any civilized society. And, the status that we have reached after 2011 Census ...*(Interruptions)*... You have already given the figures. This is also very crucially linked with your another very ambitious programme, Swachh Bharat, which is closely linked with the availability of water and disposal. Only then can that programme can effectively be implemented. In this context, you have taken a target to cover 50 per cent of all rural households with piped water supply and 35 per cent of all rural households with household connections by 2017. That is your target by 2017. I am not going beyond that, though you have given a target up to 2022.

Now, after spending ₹ 2,592.85, we have reached to the present level of pitiable percentage. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You still have not reached tribal households. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I am just quoting the target and the figures given by them. So, you have already spent ₹ 2,592.85 crores. And, for 2016-17, you have mentioned a figure of ₹ 213.57 crores. You have taken a target of 50 per cent of all rural households with piped water supply and 35 per cent direct household connections. Is this target at all realizable with the money that you have sanctioned? ...*(Interruptions)*... I think, that need to be seriously reviewed; otherwise, your target would go in public consumption. ...*(Interruptions)*... Finally, whatever has been released, tells a different

story. ...*(Interruptions)*... Funds should not be only for public consumption. But, it should be ...*(Interruptions)*... Kindly clarify this. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, तपन जी ने जो बात कही, वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 70 लीटर पानी की उपलब्धता हो। 2017 तक हम 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन से और 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन देकर जल की उपलब्धता कराएँगे। 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप लाइन से और 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन देकर हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। यह बात सही है कि वर्तमान में जो उपलब्धता दिखाई देती है, वह थोड़ी कम है। लेकिन अभी हमारे पास समय है। निश्चित रूप से हम इस पूरी परियोजना को रिव्यू करने वाले हैं। अगर इसमें और साधन बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हम वह भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे, तो अभी देश में लगभग 52 प्रतिशत क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ 'नल जल योजना' लागू है और लोगों को पाइप से पानी मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारें भी इस काम को अपने स्तर पर कर रही हैं। पिछले दिनों राजस्थान ने 'जलमणि' के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, जिसमें उसने लाखों लोगों तक जल पहुँचाने का काम किया। तेलंगाना अभी 'भागीरथी मिशन' के रूप में 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोजैक्ट ले रहा है। वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी परियोजनाएँ चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न के परिणामस्वरूप आने वाले कल में माननीय सदस्य भी चिन्ता दूर हो सकेगी।

MR. CHAIRMAN: Shri Punia. You ask about tribal households.

SHRI P.L. PUNIA: Yes, Sir, it is only about tribal households.

माननीय सभापति जी, 7.12.2015 को मैंने एक सवाल पूछा था, सवाल संख्या 810, जिसमें मैंने अनुसूचित जाति और जनजाति हाउसहोल्ड्स के बारे में ही पूछा था कि पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि वे 2022 तक 90 फीसदी हाउसहोल्ड्स को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, लेकिन जिस तरह से इसके लिए बजट की उपलब्धता कराई गई है, ये 1,100 करोड़ के बजाय 400 करोड़ तक आ गए हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी 14th Finance Commission के बाद राज्य सरकारों को 32 परसेंट के बजाय 42 परसेंट, ...

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है?

श्री पी.एल. पुनियाः मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, 42 परसेंट धनराशि उपलब्ध होगी। इस तरह से कम धनराशि देने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमने जो आँकड़े देखे थे, उनमें राज्य सरकारों को जितनी उपलब्धता कराई गई है, उससे ज्यादा योजनाओं को काट कर उन्होंने धनराशि ...

श्री सभापतिः देखिए, यह सवाल नहीं है, आप supplementary पूछिए।

श्री पी.एल. पुनियाः इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, क्या उसके माध्यम से आपने जो टारगेट्स रखे हैं, उन्हें आप पूरे कर सकेंगे? राज्य सरकारें इसमें धन उपलब्ध नहीं करा रही हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठ कर राज्य सरकारों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो ratio तय हुआ है, चाहे वह 50:50 का हो, 60:40 का हो या 90:10 का हो, राज्य सरकारें उन मामलों में रुचि ले रही हैं। मैं समझता हूँ कि बजट की कमियों को नहीं देखना चाहिए। अगर पिछली बार 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था और इस बार 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है, ऐसे में बजट को देखने में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा कम दिखाई देता है, लेकिन 50 प्रतिशत का प्रावधान यहाँ है और 50 प्रतिशत का प्राधान राज्य में है, इस तरह कुल मिला कर पेयजल की उपलब्धता के लिए पूरा का पूरा पैसा लग रहा है।

Infrastructure projects pending clearance in West Bengal

*154.DR. KANWAR DEEP SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of infrastructure projects in respect of West Bengal, proposed by the Central or the State Government, are pending for clearance at various stages;

(b) if so, the extent of their pendency, sector-wise and the reasons therefor; and

(c) what are the efforts being made to expedite these clearances and time schedule therefor, if any?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI ANIL MADHAV DAVE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The details of the government sector projects of West Bengal under consideration in this Ministry are given in Statement-I (*See* below).

(c) The proposals for grant of Environmental Clearance are considered as per the provisions of the EIA Notification, 2006 which inter-alia provides timelines for each